कार्यालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **46/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री सज्जन कुमार पिता कन्हैयालाल सोडानी नि0 बिगोद, जिला भीलवाडा
—अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा
—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 13/06/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 01.05.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 23/03/2017 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 35एफ 675928 प्रस्तुत कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 23/03/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 09/05/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/सू.अ./2017/67 दिनांक 12.05.2017 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के समक्ष आवेदन दिनांक 27.03.2017 को प्रस्तुत किया जिसमें चाही गई सूचना अपीलान्ट को उनके पत्रांक/सू0अ0/2017/66 दिनांक 04.05.2017 के द्वारा जरिये डाक प्रेषित की जा चुकी है जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की है।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 23.03.2017 से जो सूचना चाही गई वह अपीलान्ट को अपने पत्रांक 66 दिनांक 04.05.2017 से जरिये डाक से अपीलान्ट के डाक के पते पर भिजवाई गई परन्तु अपीलान्ट का कथन है कि उसे आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई। अपीलान्ट ने दिनांक 08.06.2017 को उपस्थित होकर उक्त सूचना प्राप्त करते हुए निवेदन किया कि वांछित सूचना अपील में अंकित तथ्यों के अनुरूप नहीं है। यह सही है कि प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 23.03.2017 से चाही गई सूचना दिनांक 04.05.2017 से प्रेषित किया जाना अपने जवाब में अंकित किया है इस प्रकार सूचना विलम्ब से प्रेषित की है। अपील के बिन्दु संख्या 01 में अंकित किया है कि ग्राम भीलवाड़ा की आ0नं0 497 व 886 गै0मु0 कुए की किस्म परिवर्तन किया उस आदेश की प्रति चाही इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी ने जवाब में बताया कि उक्त दोनों आराजीयात सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के नाम दर्ज है परन्तु किस्म परिवर्तन किस आदेश से हुई वह उपलब्ध नहीं है । सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो भी सूचना कार्यालय में उपलब्ध है उसे उपलब्ध कराने के प्रावधान है। ऐसी स्थिति में जो सूचना उपलब्ध नहीं है वह उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। चतुर्थ बिन्दु के सम्बन्ध में अपीलान्ट के द्वारा विवरण अंकित नहीं किया जिससे सूचना संकलित रूप में नहीं होने से दिया जाना संभव बताया है जो उचित है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 13/06/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा